राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

राजू देवी बनाम माधवी शर्मा

तारीख हुक्म	1449/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06/02/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित | अधिवक्ता अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21/07/2025 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित नही करने के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है, जिसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03/10/2025 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का आदेश पारित किया जा चुका है, ऐसेमें अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील अब औचित्यहींन एवं सारहीन हो गयी है तथा अपीलार्थी को अब इस अपील के माध्यम से कोई अनुतोष प्राप्त नही करना है | अत: अपील ख़ारिज फरमाई जावे | अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से अपीलार्थी द्वारा की गयी बहस की पुष्ठी होती है | अत: अपीलार्थी द्वारा उद्धरित तथ्यों से संतुष्ट होकर अपील अपीलार्थी औचित्यहींन एवं आधारहींन हो जाने से ख़ारिज की जाती है | तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	